



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

टॉवर-4, आठवा तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, (पुलिस मुख्यालय) शहीद पथ, लखनऊ-226002
दिनांक: लखनऊ: जून 01, 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 मुरादाबाद, सीतापुर।
पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मेरठ।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0टी0सी0 सीतापुर।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0, गोरखपुर।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0सी0 मुरादाबाद।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0, उन्नाव।
पुलिस अधीक्षक, आर0टी0सी0 चुनार।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, लखनऊ/इलाहाबाद/मुरादाबाद।
पुलिस अधीक्षक, एस0सी0आर0बी0, लखनऊ।
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय: सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों, जीआरपी0 के 03 अनुभागों एवं विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में "कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना के सम्बन्ध में।

कृपया इस मुख्यालय के पत्रसं. टीएससी-92/2009 दिनांक 11.02.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सीसीटीएनएस योजना (Crime and Criminal Tracking Network and System) को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों/थानों में बेहतर और क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है।

2. ज्ञातव्य है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी थानों का कार्य सीसीटीएनएस पोर्टल पर हो रहा है। सीसीटीएनएस योजना को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए सभी जनपदों/जीआरपी के तीन अनुभागों एवं विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

3. जनपदों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु 04 श्रेणियों में विभक्त किया गया है जिसमें A+ श्रेणी में 05 जनपद हैं जहां कम से कम 20 सीटर क्षमता वाले प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था की गयी है एवं उसमें प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न तरह के कम्प्यूटर/हार्डवेयर/यूपीएस/कम्प्यूटर टेबल/चेयर आदि फर्नीचर भी उपलब्ध कराये जा

चुके हैं, A+ श्रेणी के प्रशिक्षण केन्द्र का साइज 700 वर्ग फिट से कम नहीं होना चाहिये। A श्रेणी के प्रशिक्षण केन्द्र 15 सीटर क्षमता वाले 550 वर्ग फिट में बनाने के लिये 11 जनपद निश्चित किये गये हैं। B श्रेणी के कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 09 सीटर क्षमता वाले कम से कम 350 वर्ग फिट में बनाने के लिये 48 जनपद रखे गये हैं। C श्रेणी के कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 08 सीटर क्षमता वाले 300 वर्ग फिट में बनाने के लिये 13 को जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये थे। इन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में जेनरेटर एवं प्रोजेक्टर प्रावधानित किया गया है।

4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कर अवगत कराना सुनिश्चित करें कि यह किस हालत में चल रहे हैं। उक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों किस तरह के कितने उपकरणों की आवश्यकता है इसकी सूची बना लें।

5. अतः अपने-अपने जनपद हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उक्त सूची प्रस्ताव के साथ इस मुख्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



(आशुतोष पाण्डेय)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, उ०प्र०,
लखनऊ।

1 नंबर

च. 3-6-19

मुख्यालय 30 प्र0 पुलिस तकनीकी सेवार्ये,

जवाहर भवन, लखनऊ

दिनांक: फरवरी 11, 2011

पत्रसंख्या: टीएससी-92/2009

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।

विशेष पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 मुरादाबाद, सीतापुर।

अपर पुलिस महानिदेशक, ए0टी0सी0 सीतापुर।

पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मुरादाबाद, उन्नाव।

पुलिस अधीक्षक, आर0टी0सी0 चुनार।

पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 मेरठ।

पुलिस अधीक्षक, रेलवे, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद।

पुलिस अधीक्षक, एस0सी0आर0बी0, लखनऊ।

पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, 30 प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।

समस्त पुलिस प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 72 जनपदों, जी0आर0पी0 के 3 अनुभागों एवं विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 'कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि सीसीटीएनएस योजना (Crime and Criminal Tracking Network and System) को 30 प्र0 के समस्त जनपदों/थानों में क्रियान्वित करने हेतु मुख्यालय तकनीकी सेवार्ये जवाहर भवन लखनऊ को नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2- इस योजना की सफलता तभी सम्भव है जब हमारे अधिक से अधिक पुलिस कर्मी कम्प्यूटर में दक्ष हो जायें। उक्त कार्य के लिये 30 प्र0 के समस्त 72 जनपदों/जीआरपी के तीन अनुभागों एवं विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इन केन्द्रों पर स्थानीय संसाधनों एवं आपकी इकाई में उपलब्ध कम्प्यूटर प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को अल्प अवधि के लिये कुछ तकनीकी विशेषज्ञ

भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम इस मुख्यालय के द्वारा आपको बाद में अवगत कराया जायेगा।

3-दिनांक 25/01/2011 को सम्पन्न स्टेट इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिये साइट प्रिपेरेशन एवं फर्नीचर कय इत्यादि का कार्य जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा किया जायेगा एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति नोडल एजेन्सी मुख्यालय तकनीकी सेवायें लखनऊ द्वारा एनआईसी के माध्यम से कराई जायेगी।

4- कम्प्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति एनआईसी द्वारा माह मार्च/अप्रैल 2011 में जनपदों/अनुभाग/प्रशिक्षण केन्द्रों को कर दी जायेगी। इससे पूर्व सभी जनपद/अनुभाग/प्रशिक्षण केन्द्रों में साइट प्रिपेरेशन, फर्नीचर एवं सहवर्ती उपकरण कय करने का कार्य पूर्ण हो जाना आवश्यक है। साइट प्रिपेरेशन/फर्नीचर/जनरेटर/प्रोजेक्टर कय आदि का कार्य सम्बन्धित जनपद/इकाई प्रभारियों द्वारा इस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना है।

5- कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त 72 जनपदों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों (A⁺, A, B व C) में जनपद के आकार व स्थानों की संख्या के आधार पर किया गया है। A⁺ श्रेणी के जनपदों में 20 सीटों का, A श्रेणी के जनपदों में 15 सीटों का, B श्रेणी के जनपदों में 09 सीटों का एवं C श्रेणी के जनपदों में 08 सीटों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जायेगा। श्रेणीवार जनपदों का विभाजन निम्न तालिका के अनुसार किया गया है:-

श्रेणी	क्षमता	जनपदों के नाम
A ⁺	20सीटर	कानपुर नगर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ
A	15सीटर	बरेली, मेरठ, मु0नगर, मुरादाबाद, गारेखपुर, बनारस, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, गौतमबुधनगर, झाँसी
B	09सीटर	जौनपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, सीतापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, हरदोई, बदायूं, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, बलिया, रायबरेली, खीरी, बिजनौर, बहराइच, प्रतापगढ़, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, सिध्दार्थनगर, देवरिया, एटा, फैजाबाद, जालौन, उन्नाव, अम्बेडकरनगर, बाँदा, कुशीनगर, महाराजगंज, गोण्डा, बस्ती, सोनभद्र, चन्दौली, ललितपुर, मिर्जापुर, रामपुर, रामाबाई नगर, हमीरपुर, फतेहगढ़, मैनपुरी, पीलीभीत, छत्रपति साहू जी महाराजनगर
C	08सीटर	कौशाम्बी, मऊ, ज्योतिबाफूलेनगर, औरैया, हाथरस, बागपत, काशीरामनगर, चित्रकूट, कन्नौज, महोबा, सन्तरविदासनगर, सन्तकबीरनगर, श्रावस्ती

इसके अतिरिक्त जीआरपी एवं प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न क्षमता के कम्प्यूटर केन्द्र बनाये जायेंगे:-

संस्थान	क्षमता	अनुभाग/जनपद
GRP	10सीटर	मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ
RTC	15सीटर	चुनार
PTC	15सीटर	मुरादाबाद, सीतापुर
PTS	15सीटर	मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद, उन्नाव
ATC	15सीटर	सीतापुर
Police Academy	25सीटर	मुरादाबाद
RPCTC	45सीटर	कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ
SCRB	15सीटर	लखनऊ

6- एनआईसी द्वारा आपूर्ति होने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर का विवरण(प्रशिक्षण केन्द्र हेतु)-

S.No.		Computer	UPS 2KVA	Finger Print Reader	Digital Camera	Electronic Pen	External HDD 160GB	16 Port Switch	Multi Functional Printer
1	A+ Category District	20	3	1	1	1	1	2	1
2	A Category District	15	3	1	1	1	1	1	1
3	B Category District	09	2	1	1	1	1	1	1
4	C Category District	08	2	1	1	1	1	1	1
5	GRP	10	2	1	1	1	1	1	1
6	RTC/PTC/PTS/ATC	15	3	1	1	1	1	1	1
7	Police Academy	25	5	1	1	1	1	2	1
8	RPCTC	45	9	1	1	1	1	4	1
9	SCRB	15	3	1	1	1	1	1	1

-साइट प्रिपरेशन, फर्नीचर एवं सहवर्ती उपकरण कय हेतु बजट आवंटन-

विभिन्न जनपदों एवं इकाईयों में साइट प्रिपरेशन कार्य हेतु निम्न बजट आवंटित किया जाता है:-

Category→	आवंटित बजट (रूपये में)								
	A+	A	B	C	GRP	RPCTC	SCRB	RTC/PTC/PTS/AT C	Police Academy
Seats→ Item↓	20	15	09	08	10	45	15	15	25
Copper Plating Earthing	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Electrical Wiring	8000	7000	6000	5000	6000	10000	8000	8000	10000
Network Cabling	9000	8000	7000	6000	7000	10000	9000	9000	10000
Minor Civil Work including: Flooring of Tiles / Vitrified Tiles + Whitewash	45000	35000	30000	25000	30000	50000	45000	45000	50000
Computer Table* @ Rs.3000 / table	60000	45000	27000	24000	30000	135000	45000	45000	75000
Chair @ Rs. 3000 / per chair	60000	45000	27000	24000	30000	135000	45000	45000	75000
Instructor Table* @ Rs.6000 / table	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Instructor Chair @ Rs. 4000 / per chair	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
LCD Projector and LCD Screen - 1 unit	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Book Shelves - 1 unit	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
White Board - 1 unit	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
5 KVA Generator	-	-	120000	120000	-	-	-	-	-
Total Budget Allocation for site preparation	246000	204000	281000	268000	167000	403500	216000	216000	283500

8-साइट प्रिपरेशन हेतु गाइडलाइन्स-

8.1-रूम साइज-

S.No.	Category	Room Size(Sq.ft.)
1	A+	600-700
2	A	450-550
3	B	300-350
4	C	250-300
5	GRP	300-350
6	RTC/PTC/PTS/ATC/SCRB	450-550
7	Police Academy	700-800
8	RPCTC	1000-1200

8.2 -सिविल/इलेक्ट्रिकल वर्क स्पेशिफिकेशन-

S.No.	WORK/EQUIPMENT DETAILS
1	Flooring -Tiles/Vitrified Tiles for Computer Room.
2	Electric wire (5 Amp)-2 Core+ earthing wire (1/18)
3	Four point DB (5 Amp) 3 pin socket with switch for each computer system. Power supply through UPS and Two point switch DB (5 Amp) 3 pin socket with switch for each printer through direct line, Two point DB (15 Amp) 3 pin socket.
4	PVC 3/4" Baton including fitting (Electric)
5	Networking cable CAT-5/6 to create LAN
6	PVC 3/4" Baton including fitting (Networking)
7	Plate earthing through Copper Wire with provision of copper plate (300mm x 300mm x 300mm) earthing by digging 12' deep hole (4' x 4')
8	Oil Bound Distemper (Double Coat) for Computer Room.

8.3-कम्प्यूटर टेबिल साइज-

मानक के अनुसार कम्प्यूटर के मेज की साइज 2'x 2' होना चाहिये ।

8.4-इन्स्ट्रक्टर टेबिल साइज-

मानक के अनुसार इन्स्ट्रक्टर की मेज का साइज 5'x 3' होना चाहिये ।

8.5-जनरेटर-

Specifications – 5 KVA Diesel Silent Generator
Should conform to eco-friendly norms.

8.6-एलसीडी प्रोजेक्टर स्पेसिफिकेशन-

1. Screen Size - 4 meters diagonally
2. Aspect Ratio - 4:3
3. Computer Compatibility - VGA /SVGA/ XGA/ SXGA
4. Video Compatibility- PAL/SECAM/ NTSC
5. Projection Lamp - UHP/ METALHALIDE / NSH – LAMP. Details of lamp to be furnished in the offer
6. Lamp Life - 2000hrs Minimum If offered models are with lamp life less than 2000 hours, additional lamps to achieve lamp life 2000 hrs. (Minimum)
7. Lamp hour counter - To be built -in
8. Brightness- 2000ANSI Lumens or higher
9. Throw Distance (Range) - Should cover 2 meters-5 meters from screen
10. Audio System Minimum - 1.0 watt RMS with built-in speaker
11. Zoom! Focusing - Lens Zoom 1:1.2 or higher, Motorized Zoom & Focus (Controlled by a Remote)
12. Remote Control - Remote control unit for PC and Mouse with inbuilt laser pointer
13. Terminals ports with connectors (Input/output) - Video IN, S Video IN, RGBIN, Audio IN, RGBOUT,
14. Connectivity for remote mouse
15. Power Consumption - 260 W Max
16. Contrast Ratio - 260: 1 or higher
17. PCMCIA card slot with card.
18. Native resolution - 1024x768Color Pixels Minimum
19. Intelligent resizing - 1280x1024
20. Key stone/Lens shift - Digital
21. Packing - Hard case high Impact, durable case for LCD Projectors

8.7-रूम लेआउट- संलग्न-परिशिष्ट 1 से 7 के अनुसार

9.0-परचेज रूल्स-

प्रत्येक आइटम के लिये आवंटित धनराशि उस आइटम की अधिकतम क्रय सीमा है। क्रय के पश्चात शेष धनराशि से इस मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा। सामान खरीदते समय उत्तर प्रदेश राज्य Govt. Financial Rules(GFR) के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

10.0- बजट का हस्तान्तरण-

इस कार्यालय के पत्र संख्या टीएससी-92/09 दिनांक 4-2-2011 द्वारा सीसीटीएसन योजना के अन्तर्गत बैंक एकाउन्ट खोलकर खाता संख्या से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। बजट में आवंटित धनराशि इस मुख्यालय के द्वारा सीधे आपके द्वारा खोले गये खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरणों की सम्पूर्ति अप्रैल 2011 तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अतएव साइट प्रिपरेशन का कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- परिशिष्ट 1 से 7

kyin 11/07/11


(आर०आर०भटनागर)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, 30 प्र० लखनऊ।

Room Layout

परिशिष्ट " 1 "


District Training Centre in "A+" Category with 20 computer facility



Room Layout

परिशिष्ट " 2 "

(For Category "A" District)
And
(PTC/ATC / RTC / PTS / SCRIB with 15 computer facility)




Room Layout

परिशिष्ट " 3 "


(For Category "B" District)

District Training Centre with 9 computer facility



Room Layout

(For Category "C" District)
District Training Centre with 8 computers facility




Room Layout

परिशिष्ट " 5 "

GRP District Training Centre (GRPDTCC)

10 computer facility

TRAINING CENTRE



SEATING
STRENGTH : 10


UPS : 1
Server : 1

Switch : 1
Printer : 1

Room Layout

परिशिष्ट " 6 "

Police Training Academy with 25 computer facility




Room Layout

परिशिष्ट " 7 "

(For U.P. Police Computer Centre , Lucknow)

Regional Police Computer Training Centre (RPCTC)

TRAINING CENTRE



Server : 1 UPS : 9 Printer : 1

SEATING
STRENGTH : 45

सीसीटीएनएस/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय 30 प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें , जवाहर भवन, लखनऊ।
पत्र संख्या: टीएससी-92/2009

दिनांक: फरवरी 25, 2011

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
विशेष पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 मुरादाबाद, सीतापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक, ए0टी0सी0 सीतापुर।
पुलिस महानिरीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी0टी0एस0 मुरादाबाद, उन्नाव।
पुलिस अधीक्षक, आर0टी0सी0 चुनार।
पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 मेरठ।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, झाँसी, आगरा, मुरादाबाद।
पुलिस अधीक्षक, एस0सी0आर0बी0, लखनऊ।
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, 30 प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
समस्त पुलिस प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत जनपदों / जीआरपी अनुभाग / प्रशिक्षण संस्थानों में बैंक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि भारत सरकार की सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों / रेलवे अनुभागों/एससीआरबी एवं पुलिस विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों (पुलिस अकादमी/ पीटीसी/ पीटीएस/एटीसी/आरपीसीटीसी/आरटीसी) में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 31-3-2011 तक स्थापित किये जाने हैं।

1- दिनांक 25/01/2011 को सम्पन्न स्टेट इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त कार्य के लिये साइट प्रिपेरेशन एवं फर्नीचर क्रय इत्यादि का कार्य जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सर्व प्रथम आप अपनी जनपद/इकाई के लिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थानीय शाखा में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट-(जनपद/इकाई का नाम) के नाम से (उदाहरण स्वरूप- सीसीटीएनएस

प्रोजेक्ट-जनपद लखनऊ या सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट-जीआरपी गोरखपुर या सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट- पीटीसी मुरादाबाद) जीरो बैलेंस पर सेविंग एकाउन्ट खाता खोल लें।

3- समस्त जनपद/इकाई के प्रभारी उपरोक्त बैंक एकाउन्ट के सम्बन्ध में एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा निर्धारित निम्न प्रारूप के अनुसार सूचना इस मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

PROFORMA FOR FURNISHING DETAILS OF BANK ACCOUNT

SNo.		
1	CIF CODE	
2	Address Line 1	
2	Address Line 2	
3	Address Line 3	
4	City	
5	State	
6	District	
7	PIN	
8	Contact Person	
9	Phone	
10	Email	
11	Scheme	
12	Bank	
13	Address	
14	Branch (along with Branch code)	
15	Account No.	
16	Account Name as per Bank	

4- उक्त योजना से सम्बन्धित धनराशि भारत सरकार से नोडल एजेंसी (मुख्यालय 30 प्रो तकनीकी सेवायें लखनऊ) को समय-समय पर प्राप्त होती है। इस


मुख्यालय द्वारा यह धनराशि व्यय हेतु सम्बन्धित जनपदों/इकाईयों को निर्धारित मानकों के अनुसार समय समय पर इन खातों में सीधे हस्तान्तरित कराई जायेगी। इस धनराशि से इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेंगे। यह धनराशि सीसीटीएनएस योजना एवं उत्तर प्रदेश राज्य Govt. Financial Rules(GFR) के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए व्यय की जायेगी।

5- उक्त धनराशि/खाते के संचालन/रख रखाव/व्यय का उत्तरदायित्व जनपद/इकाई प्रभारी का होगा। उक्त खाता पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से आपरेट किया जायेगा। हस्तान्तरित धनराशि की कैश बुक/अन्य अभिलेख भी अलग से रखे जायेंगे। इस खाते पर अर्जित ब्याज से मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा तथा मुख्यालय की अनुमति के बिना ब्याज की धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। इस काम हेतु किसी एक लेखा लिपिक को उत्तर दायित्व सौंपा जायेगा।

6- हस्तान्तरित की गयी धनराशि की समय - समय पर सम्प्रेक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि उक्त योजना भारत सरकार की है।

7- उपरोक्त आदेश इस मुख्यालय में नियुक्त वित्त एवं लेखाधिकारी के परीक्षणोपरान्त जारी किया जा रहा है।

8- कृपया अनुपालन कर बिन्दु 3 में माँगी गई सूचना दिनांक 10-02-2011 तक फ़ैक्स द्वारा (0522-2286615) प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(आर०आर०भटनागर)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें, 30 प्र० लखनऊ।

- प्रतिलिपि:-
1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, 30 प्र० को कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।